अविप्रा **अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर** अविप्रा

क्रमांक/अविप्रा/सचिव/2021/1387-1412 दिनांक 17-03-2021

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 16.03.2021 को प्रातः 11:30 बजे आयुक्त महोदया, अजमेर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई । जिसका बैठक कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1. श्री किशोर कुमार, सचिव, अ.वि.प्रा., अजमेर
2. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अति. कलक्टर, अजमेर
3. श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त, अ.वि.प्रा. अजमेर
4. श्री सीताराम प्रजापत, अति.पुलिस अधिक्षक, अजमेर
5. श्री शीशराम, मुख्य अभियंता, अजमेर विधुत वितरण, निगम, लि. अजमेर
6. श्री अनिल कुमार गुप्ता, निदेशक अभियंत्रिकी, अ.वि.प्रा., अजमेर
7. श्री पुनीत शर्मा, निदेशक आयोजना, अ.वि.प्रा., अजमेर
8. श्रीमती नीता विजय मिश्रा, निदेशक विधि, अ.वि.प्रा., अजमेर
9. श्री राजकिशोर मीणा, निदेशक वित, अ.वि.प्रा., अजमेर
10. सुश्री मीनाक्षी वर्मा, उपनगर नियोजक, अ.वि.प्रा, अजमेर
11. श्रीमती सुनिता सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी, अ.वि.प्रा, अजमेर
12. श्री अशोक रंगनानी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर
13. श्री योगेश कुमार खत्री, अति. निदेशक पर्यटन विभाग, अजमेर
14. श्री त्रिलोकचन्द कुमावत, अति.निदेशक, नगर परिषद , किशनगढ़, अजमेर
15. श्री पराग जैन, सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, पुष्कर, अजमेर

सर्वप्रथम सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण ने समस्त आगन्तुक समिति के सदस्यो का स्वागत किया बैठक में बाद विचार विर्मश प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टी की गई तत्पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या	विवरण	अनुभाग
1	दिनांक 18.12.2020 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि । निर्णयः– सर्वसम्मति से दिनांक 18.12.2020 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि की गई।	सचिव

Scanned with CamScanner

2	**चंदबरदाई खेल नगर के हाकी स्टेडियम में एस्ट्रोट्रफ का कार्य के अंतिम समयावधि प्रकरण एवं विचलन अनुमोदन प्रकरण की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत बाबत्।**	**निदेशक अभियांत्रिकी**

कार्य का नामः–P&L exsiting area (6591 sqm) synthetic hockey surface of Global F.I.H. Approved Category including construction of Top Pavered Surface over existing surface of Hockey Ground at Samrat Prathviraj Chouhan Khel Nagar, Chand Vardai Nagar, Ajmer.

संवेदक का नाम :–	Sport Technology Internatio
कार्यादेश क्रमांक, दिनांक :–	14504-08 Date: 24-09-2008
कार्यादेश लागत :–	5817012.00 only & 373050
कार्य प्रारम्भ की निर्धारित तिथि :–	01.10.2008
कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :–	31.03.2009
कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि :–	27.09.2011
कार्य में कुल देरी :–	909 Days

A. समयावधि प्रकरण (Time Extension)

एस्ट्रोट्रफ का कार्य :–

इस कार्य में एस्ट्रोट्रफ हेतु सामाग्री विदेश से आयात होनी थी। जिसके लिये विभाग को बैंक से Credit Limit जारी करवाई जानी थी तथा अनुबंध के अनुसार Credit Limit जारी होने की दिनांक से 12 सप्ताह के अन्दर सामग्री कार्य स्थल पर उपलब्ध की जानी थी तथा सामग्री आपूर्ति पर कुल राशि का 373050.60$(40% + 25% = 65%) का भुगतान USD$मेंकिया जाना था। प्रति सप्ताह विलंब के लिये राशि 2.00 लाख Compensation of Delay वसूला जाना था। संवेदक द्वारा उपरोक्त सामग्री आपूर्ति एक सप्ताह विलंब से दी गई। अतः राशि 2.00 लाख Compensation of Delay संवेदक स्तर पर प्रस्तावित की गई है।

शेष राशि 35% of 373050.60$ कार्य 12 सप्ताह में पूर्ण किया जाना था जो आपूर्ति पश्चात् 96 दिन विलंब से किया गया। विलंब के पश्चात् किये गये कार्य की लागत पर 10 % Compensation of Delay 373050.60$ X 35%@ 51.0625(As the Value of Dollar at that time paid in 2nd Running Bill) =666710/- की Compensation of Delay प्रस्तावित है।

Compensation of Delay in Astroturf Work 200000 + 666710 = 866710/-

Remaining Civil Work जो कि 909 दिन विलंब से पूर्ण किये गये कार्य की कुल राशि 5826424 का 10 % की दर से Compensation of Delay राशि रू 582942/– प्रस्तावित की गई है।

बिन्दु संख्या 1 व 2 की कुल Compensation of Delay राशि 1449652/– प्रस्तावित की गई है।

अतः प्रकरण में राशि 1449652/– की Compensation अनुबंध के तहत लगाते हुए अन्तिम समयावधि दिनांक 27.09.2011 तक स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष अनुशंषा की जाती है।

B. विचलन अनुमोदन (Deviation Statement)

जी–अनुसूची के अनुसार कुल कार्यादेश राशि रू 5167012.00 का था। वास्तव में कराये गये कार्य की गणना अनुसार राशि रू 5179724.00 का कार्य हुआ। जिसमें अधिक कार्य राशि रू 12412.00 का है। जो कि कार्यादेश राशि का 0.21 प्रतिशत अधिक है। इस कार्य में एच– अनुसूची में Item नं.1. 373050.60$ व Item नं. 2. 650000/– का अनुसूची के अनुसार कोई विचलन नहीं हुआ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष Devaition की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः–निदेशक वित्त से नियमानुसार परीक्षण करवा कर उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाये।

Scanned with CamScanner

3	**Wideing of Road and Construction of Divider Eork at Jaipur Road From Ashok Uhdyan To MDS Tiraha Ajmer के Deviation Statement, Extra Item, Final Time Extension प्रकरण की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत बाबत्।**	निदेशक अभियांत्रिकी

कार्य का नामः–Widening of Road and Construction of Divider Work at Jaipur Road From Ashok Uhdyan To MDS Tiraha Ajmer

संवेदक का नाम :–	M/s H.S. Mehta Infra Pv
कार्यादेश क्रमांक, दिनांक :–	15988 Date: 18-10-2017
कार्यादेश लागत :–	60007833.00
कार्य प्रारम्भ की निर्धारित तिथि :–	27.10.2017
कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :–	26.01.2019
कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि :–	22.11.2019
कार्य में कुल देरी :–	296 Days

A. **समयावधि प्रकरण (Time Extension)**

1. चूंकि उक्त सड़क NH के अधीन आती है जिसके सम्बन्ध में NOC भी कार्यादेश से पूर्व ही प्राप्त कर ली गई। कार्यादेश जारी करने के पश्चात् संवेदक को मौके पर जैसे ही ले–आउट दिया गया मौके पर विभिन्न प्रकार की Utillities जैसे PHED Line, BSNL Cable, Electric Poles, NH का नाला नगर निगम Gantry रोड़ के मध्य में पाई गई, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को पत्र प्रेषित किये गये। इसके अतिरिक्त Drainage के कार्य में विभिन्न प्रकार के Encroachment आ रहे थे जिनकी listing करके कार्यवाही की गई।

2. Utility Shifting जिनमें PHED Line मुख्य थी जिसके सम्बन्ध में बार–बार पत्राचार करके अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर में Meeting भी बुलाई गई। PHED की पाईप लाईन सम्बन्धित विभाग द्वारा दिनांक 30.01.2019 के पश्चात् हटाई गई। जिसके कारण कार्य बाधित रहा।

3. अशोक उद्यान के सामने NH का नाला था जिसको Shftingहेतु बार–बार पत्राचार किया गया जिसके सम्बन्ध में NOC दिनांक 26.03.2019 को प्राप्त हुई। अतः 26.03.2019 से पूर्व नाले के भाग में कार्य किया जाना सम्भव नही था।

4. नगर निगम का Gantry Board 24.06.2019 तक नही हटाया गया अतः gantry Board भाग में कार्य किया जाना सम्भव नही था।

5. अन्त में जयुपर रोड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घूघरा में एक कमरा व ग्राम पंत्रायत की चार दुकानों का बरामदा नाली निर्माण में बाधा बन रहा था जिसके सम्बन्ध में घूघरा सरपंच को बार–बार पत्र प्रेषित किय गये। अन्त में दिनांक 04.07.2019 को पत्र प्रेषित कर घूघरा सरपंच के माध्यम उक्त Hurdle भाग हटवाया गया। अन्तिम Hurdle भाग हटाने के पश्चात संवेदक द्वारा सम्पूर्ण कार्य 132 दिवस में ही पूर्ण कर दिया गया।

6. सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वर्षा ऋतु होने के कारण Road Furnishing का कार्य जैसे Edge Line, Centre Line, Divider Colour का कार्य वर्षा ऋतु पश्चात् किया जाना सम्भव था।

अतः समस्त Utility Shifting(Electric Poles, BSNL Cable, PHED Pipe Line) व Hurdle (Nagar Nigam Gantry Board Shifting,नाला shifting,अतिक्रमण) से सम्बन्धित रिपोर्ट कर समय–समय पर PTE जारी किये गये। अतः कार्य में सम्पूर्ण देरी संवेदक स्तर पर न होकर विभागीय स्तर पर रही। अतः अन्तिम समयावधि 22.11.2019 तकWithout Compensation for Delay के साथ किये जाने की अनुशांषा की जाती है।

B. **अतिरिक्त Item प्रकरण**

उक्त कार्य के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार राशि रू 2545612/– के अतिरिक्त आईटम के कार्य करवाये जो कि कार्यादेश राशि का 4.24 प्रतिशत है। अतः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

Scanned with CamScanner

	C. विचलन अनुमोदन (Deviation Statement) उक्त कार्य का कार्यादेश राशि रू 60007833.00 के विरूद्ध राशि रू 58377276.00 का कार्य करवाया गया। अतः सम्पूर्ण कार्य में 2.72 % की बचत रही । अतः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः—निदेशक वित्त से नियमानुसार परीक्षण करवा कर आगामी कार्यकारी समिति में निर्णय लिया जावें।**	
4	**डिजिटल फिल्म लाईब्रेरी के सवेंदक के बकाया रहे भुगतान बाबत् चर्चा।** राज्य सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2016—17 में अजमेर संग्रहालय में डिजिटल फिल्म लाइब्रेरी के निर्माण के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा राशि रूपये 200.00 लाख का कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके विरूद्ध डी.पी.आर. तैयार करवाकर अलग— अलग कार्यादेश जारी किए गये थे। राज्य सरकार की राशि रूपये 200.00 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 179.67 लाख व्यय का कार्य कराया गया है। कराये गये कार्य के विरूद्ध राजस्थान सरकार से रूपये 149.67 लाख की राशि प्राप्त हुई है। सभी कार्य प्राधिकरण द्वारा पूर्ण कर लाइब्रेरी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, अजमेर को हस्तांतरित की जा चुकी है। परन्तु राशि राज्य सरकार से रूपये 30.00 लाख की राशि कम प्राप्त होने के कारण कार्य के विरूद्ध भुगतान किया जाना शेष है। इस संबंध में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान जयपुर से कई पत्राचार भी किए गए है एवं सचिव व निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा व्यक्तिगत संपर्क किया गया है, परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर शेष राशि अभी तक अप्राप्त है। पुरातत्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य के लिए इस विभाग के अधीन बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं है। संवेदकों द्वारा शेष राशि भुगतान हेतु कानूनी नोटिस भी दिया गया है। प्राधिकरण के आदेश क्रमांक प.5/लेखा/2020—21/554 दिनांक 21.01.2021 को भुगतान के संबंध एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का निर्णय निम्नानुसार हैः— निदेशक (वित्त) द्वारा अवगत कराया गया कि फिल्म लाइब्रेरी के संबंध में महालेखाकार का ऑडिट पैरा बना हुआ है, कि बकाया राशि प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त की जाये एवं अधीक्षक, पुरातत्व विभाग, अजमेर द्वारा वर्णित कमियों के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी शाखा से परीक्षण रिपोर्ट ली जाकर एवं कार्य की गुणवत्ता के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर संवेदक को भुगतान की कार्यवाही की जावे। इस संबंध में निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्य की गुणवत्ता की जाँच के संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक प.5/लेखा/2020—2021/553 दिनांक 21.01.2021 द्वारा एक कमेटी गठित की जा चुकी है एवं संवेदक की एस.डी. राशि प्राधिकरण के स्तर पर जमा है जिसका भुगतान अभी नहीं किया गया है। ए.जी. ऑडिट पैरा एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सहमति से निर्णय लिया गया कि शेष राशि रूपये 30.00 लाख का भुगतान अजमेर विकास प्राधिकरण के स्तर पर किये जाने हेतु कार्यकारी समिति से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की अनुशंषा की जाती है। अतः प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है।चर्चा में निदेशक अभियांत्रिकी ने बताया कि चूंकि सम्पूर्ण कार्य अविप्रा के द्वारा ही करवाया गया है तथा निदेशक पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार ने भी राज्य सरकार के पास बजट न होने के बारे में अवगत कराया था। अतः सवेंदक को शेष राशि का भुगतान किये जाने बाबत प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लिया जाना उचित होगा। चर्चा में भाग लेते हुए निदेशक वित्त ने बताया कि इस राशि को भुगतान करने के लिएयह राशि राज्य सरकार से ही प्राप्त की जानी उचित होगी क्योकि राज्य सरकार के	निदेशक वित्त

Scanned with CamScanner

	बजट घोषणा वर्ष 2016–17 में अजमेर संग्रहालय में डिजिटल फिल्म लाइब्रेरी के निर्माण के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा राशि रूपये 200.00 लाख का कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अतः यह सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार से ही प्राप्त करके सवेंदक को दिया जाना उचित होगा। **निर्णयः– निदेशक वित्त, आयुक्त महोदया के माध्यम से सवेंदक को शेष राशि दिलवाने के लिए नगरीय विकास विभाग/वित्त विभाग से पत्राचार की कार्यवाही करेगें।**	
5	**प्राधिकरण के प्राप्त होने वाले भू–उपयोग परिवर्तन संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के क्रम में सदस्य सचिव अधिकृत किये जाने बाबत्।** राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांकः प.11(8) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भूउपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम, 2021 जारी किये गये है। (प्रति संलग्न) उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 4(घ) के क्रम में प्राधिकरण स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति का गठन किया गया है। जो कि निम्नानुसार है। विवरणः– 1. आयुक्त : अध्यक्ष 2. सचिव : सदस्य 3. निदेशक नगर आयोजना : सदस्य 4. निदेशक विधि : सदस्य 5. संबंधित जोन का उपायुक्त : सदस्य 6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक/उपनगर नियोजक (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया जावे।) : सदस्य सचिव उपरोक्त के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणो में सदस्य सचिव प्राधिकृत किया जाना है साथ ही उक्त समिति की अनुशंषा व निर्णय के प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के क्रम में चर्चा हेतु प्रस्तुत है। **निर्णयः– सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के स्तर पर आयोजित होने वाली भू–उपयोग परिवर्तन सबंधित बैठक में सदस्य सचिव के रूप में निदेशक आयोजना को मनोनित किया जाता है।**	निदेशक आयोजना

Scanned with CamScanner

6	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ।	

विषयः—आक्षेप प्रतिवेदन 2010—11 का आक्षेप सं0 (13—ब—1) क बिन्दु सं0 (vi) का अनुमोदन करने बाबत्।
संदर्भ :—वर्ष 2010—11 में ऑडिट द्वारा बिना निविदा के अनियमित कार्य करने हेतु जारी ऑडिट आक्षेप के सम्बन्ध में।

प्रभारी अधिकारी स्टोर शाखा

इस कार्यालय के यू.ओ. नोट कमांक न्यास/एए/2010/681—86 दिनांक 27.07.2010 एवं 869—72 दिनांक 14.10.2010 की अनुपालना में नियमन क्षेत्र में विकास कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाकर आगामी तीन वर्षो में विकास कार्य पूर्ण किये जाने हेतु न्यास बैठक दिनांक 30.09.2010 में दिये गये निर्देशों /नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 16.07.2010 की पालना में न्यास क्षेत्राधिकार के विभिन्न राजस्व ग्रामों में नियमन क्षेत्र में अप्रूव्ड ले—आउट प्लान/नक्शें इत्यादि की फोटो प्रतियां स्थानीय बाजार से करवाई गई है। जिनके भुगतान हेतु प्राप्त बिलो का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. स.	बिल स0 व दिनांक	फर्म का नाम	ले—आउट के साईज	दर (फिट में)	राशि
1	7378 27.09.2010	मोना फोटो स्टेट, फोटो कॉपियर्स अजमेर	176 फिट	15/—	2640/—
2	7381 28.09.2010		180 फिट	15/—	2700/—
3	7386 29.09.2010		178 फिट	15/—	2670/—
4	7389 01.10.2010		198 फिट	15/—	2970/—
5	7393 04.10.2010		199 फिट	15/—	2989/—
6	7400 05.10.2010		198 फिट	15/—	2970/—

उक्त बिलो का भुगतान सचिव महोदय द्वारा से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यालय के वाउचर सं0 21 दिनांक 01.12.2010 द्वारा कुल राशि 16939/— जरिये चैक सं0 090019 द्वारा किया गया है, उक्त कार्य इस कार्यालय के प्लानिंग शाखा द्वारा कराया जाकर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किये गये जो कि तत्कालीन सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रमाणित है, प्राप्त बिलो का इन्द्राज स्टॉक पंजिका में किया गया।

उक्त कार्य नियमन शुदा कोलोनियों के ले—आउट प्लान की फोटोप्रतियां कराने हेतु कराई गई, जिनकी साईज उपरोक्त तालिका में इन्द्राज है। न्यास में फोटो कॉपी हेतु अधिकृत फर्म के पास से नही कराकर मोनो फोटोस्टेट, कचहरी रोड,अजमेर से कराया गया है, क्योंकि न्यास में बडे साईज के ले—आउट प्लान की फोटो कॉपियाँ की व्यवस्था नही थी। एवं उक्त कार्य अलग अलग दिनांको में कराये जाने के कारण निविदायें जारी नही की गई।

प्रभारी भण्डार शाखा ने अवगत कराया कि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से वर्ष 2010 में कुल 16639 रू. की फोटो स्टेट कराई गई थी।

अतः समिति के समक्ष प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णयः—निर्णयः—उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

Scanned with CamScanner

7	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ।

रेरा में पंजीबद्ध योजनाओं के लिए खोले गये पृथक बैंक खातों के अनुमोदन बाबत्।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2016 से The Real Estate (Regulation And Development) ACT 2016 लागू किया है, उक्त राजपत्र के अनुसरण में राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग ने परिपत्र सं. F10 (32)/UDH/3/2009/Part/Jaipurदिनांक 01 मई 2017 से Rajasthan Real Estate (Regulation And Development) Rules,2017 बनाये गये है, जिसके अनुसार परिसम्पतियों का विक्रय किया जाना है।

उक्त नियमों के चेस्टर II (5) के अनुसार प्रमोटर द्वारा पंजीबद्ध योजना के लिए एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। प्राधिकरण द्वारा वित्तिय वर्ष 2020–21 में रेरा में पंजीबद्ध निम्न योजनाओं के उनके नाम के आगे अंकित पृथक बैंक खाते खोले गयें:–

S.no	Name Scheme and Rera Registration Number	Bank Name & Branch	Bank account number
1.	FooskiKhothiResidental Group Housing Scheme, Ajmer RAJ/P/2020/1391	ICICI Brach ADA Campus Ajmer	768401000008
2.	Professional Institute Saheme in Revenve Village Makarwali RAJ/P/2020/1389	ICICI Brach ADA Campus Ajmer	768401000007
3.	Ghooghra Commercial Scheme Ajmer RAJ/P/2020/1370	ICICI Brach ADA Campus Ajmer	018501008550
4.	Daurai Ware house and Godowm Scheme Ajmer RAJ/P/2020/1344	HDFC bank Soochna Kendra Ajmer	50100349610802
5.	Tourist Facility/Hotel Scheme GanaheraPushkar RAJ/P/2020/1371	SBI Special Branch Ajmer	39219228817
6.	Dourai Commercial Scheme Opposite Transport Nagar. Ajmer RAJ/P/2020/1341	HDFC bank Soochna Kendra Ajmer	50100349654374

उपरोक्त रेरा पंजीबद्ध विभिन्न योजनाओं के लिए पृथक–पृथक बैंक खाते खोले गये है, खोले गये बैंक खातों के अनुमोदन का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः–उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बैठक अन्त में सहधन्यवाद समाप्त की गई।

यह बैठक कार्यवाही विवरण माननीया आयुक्त महोदया से अनुमोदित है।

सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

Scanned with CamScanner

क्रमांक/अविप्रा/सचिव/2021/1387-1412 दिनांकः– 17-03.2021

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. निजी सहायक, जिला कलक्टर, अजमेर।
6. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
7. निजी सहायक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
8. निजी सहायक, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
9. अति. जिला कलक्टर शहर, अजमेर।
10. मुख्य अभियन्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
11. मुख्य अभियंता अजमेर विधुत वितरण निगम लि. अजमेर।
12. अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
13. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर रीजन, अजमेर।
14. सलाहकार (एएण्डएम) राजस्थान राज्य औद्योगिकी विकास एवं विनियोजन नि.लि., जयपुर।
15. कार्यकारी निदेशक (यांत्रिकी) (महाप्रबन्धक अभियांत्रिकी), राजस्थान राज्य परिवहन नि. लि., जयपुर।
16. उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, अजमेर।
17. उपायुक्त उत्तर/दक्षिण/पुष्कर/किशनगढ़, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
18. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
19. अधीक्षण अभियन्ता उत्तर/दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
20. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
21. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
22. सहायक विधि परामर्शी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
23. आयुक्त, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
24. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, पुष्कर, अजमेर।
25. प्रभारी अधिकारी भंडार शाखा, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

Scanned with CamScanner